4534
12.8.24

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

अनुदान सं0–14

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या–1/शा0/32/2024–1/28/2024 लखनऊ दिनांक 08 अगस्त, 2024

विषय–वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–14 में मैनुअल स्कैवेन्जर क्षतिपूर्ति योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0–165.00 लाख आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–904/33–3–2024 दिनांक 02 अगस्त 2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मैनुअल स्कैवेन्जर क्षतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–14 में प्राविधानित धनराशि रू0–165.00 लाख (रूपया एक करोड़ पैसठ लाख मात्र) उक्त शासनादेश दिनांक 02.08.2024 में निहित निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि रू0–165.00 लाख (रूपया एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है–

01–नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय राजस्व मद की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

02–आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व नोडल अधिकारी का होगा।

03–प्रश्नगत धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों मे व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

04–धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा–निर्देश विषयक शासनादेश संख्या–1390/33–3–2022–1182/2022 दिनांक 22.07.2022 तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा तथा आवंटित की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

05–मैनुअल स्कैवेन्जर क्षतिपूर्ति योजना अन्तर्गत होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–03–मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नाम डाला जायेगा।

06–आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

07–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों मे उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

08–योजनान्तर्गत लाभार्थी का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त धनराशि का प्रेषण सीधे लाभार्थी के खाते में किया जायेगा।

09–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाये।

10–धनराशि के आहरण/व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं अन्य वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

11–आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

12–नोडल अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नहीं यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है। नोडल अधिकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगे।

13– वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि एवं अर्जित ब्याज राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व नोडल अधिकारी का होगा।

14–आवंटित की जा रही धनराशि को नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार ही आहरित किया जायेगा।

15–आवंटित की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2024/बी–1–294/दस–2024–231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व आपका होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0–48 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(अटल कुमार राय)
निदेशक,
पंचायती राज उ0प्र0।

सं0–1/शा0/32/1/2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 02.08.2024 के क्रम में।
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2–विशेष वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3–विशेष सचिव, वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उ0प्र0 शासन।
4–मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5–निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
7–वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–21100।
8–उपनिदेशक (पं0) योजना प्रभारी, मैनुअल स्कैवेन्जर क्षतिपूर्ति योजना, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9– एस0पी0एम0यू0 पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

28/08/24
(अमिताभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।

RGSA

(अभय कुमार शाही)
उपनिदेशक (पं०)
पंचायतीराज, उ०प्र०
12.8.24

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-08/08/2024

प्रेषण संख्या:-	1-sha-32-2024-1-28-2024
आवंटन आदेश संख्या:-	001-1-28-2024
अनुदान संख्या:-	14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय) 60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 800 - अन्य व्यय 03 - मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	16500000 16500000	16500000 16500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	16500000 16500000	16500000 16500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पैंसठ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पैंसठ लाख

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

...ed by AMITOSH SRIVASTAVA
...nt Completed
...sh
...8 +05:30